

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(सेवानिवृत्ति)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम कर्मचारी व पद | पदस्थापन स्थान | जन्म तिथि | से.नि. तिथि |
|----------|--|---|------------|-------------|
| 1. | श्री नन्द लाल/मिनारिया, लिपिक ग्रेड-प्रथम | खण्ड मुख्य चिकि. अधि., भीण्डर, उदयपुर | 21.07.1957 | 31.07.2017 |
| 2. | श्री अलावेली लिपिक ग्रेड-द्वितीय | सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, खैरवाडा, उदयपुर। | 30.04.1953 | 30.04.2018 |
| 3. | श्री मोटाराम, लिपिक ग्रेड-द्वितीय | सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, मौलासर, नागौर। | 30.12.1957 | 31.12.2017 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 11.07.17

क्रमांक :- ई-18/एम/(सेवानिवृत्ति)/2017/1573

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/नागौर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भीण्डर, उदयपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, खैरवाडा, उदयपुर/मौलासर, नागौर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर